सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-5184/JH/113/2025-RU-IV दिनांक : 12.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
धनबाद,
स्टेशन रोड, धनबाद, झारखंड 826001
ई-मेल:dc-dha@nic.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
धनबाद, झारखंड 826001
Email Id: sp-dhanbad@jhpolice.gov.in

विषय: **आदिवासी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने के संबंध में – श्रीमति गुलाबो देवी, पति स्वर्गीय श्री सोना राम मरांडी, निवासी-मांझी पाड़ा चिरागोड़ा, हीरापुर, धनबाद (झारखण्ड) का दिनांक 23.05.2025 का पत्र।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्रीमती गुलाबो देवी,
सा०-माँझी पाड़ा चिरगोड़ा, हीरापुर,
जिला-धनबाद-826001
Mobile No: 7857802109

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

NCST/DEV-5184/JH/113/2025-RU-IV

आदिवासी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने के संबंध में – श्रीमति गुलाबो देवी, पति स्वर्गीय श्री सोना राम मरांडी, निवासी-मांझी पाड़ा चिरागोड़ा, हीरापुर, धनबाद (झारखण्ड) के मामले में दिनांक 03.06.2026 को सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत ।

सिटिंग की दिनांक: 03.06.2026
सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

शिकायतकर्ता गुलाबो देवी उर्फ गुलाबी देवी, पति स्वर्गीय सोना राम मरांडी, निवासी मांझी पाड़ा, चिरागोड़ा, हीरापुर, धनबाद, झारखंड-826001, जो अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदाय से संबंध रखती हैं, ने दिनांक 23 मई 2025 के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत में कहा गया है कि मौजा-हीरापुर नं. 7, खाता नं. 76, प्लॉट नं. 2572 एवं 2573 स्थित उनकी पुश्तैनी आदिवासी खाता भूमि, जो चिरागोड़ा मुख्य सड़क एवं बी.डी.ओ. कार्यालय के समीप शहर के बीचों-बीच स्थित है, पर दबंग भू-माफिया मुकेश सिंह एवं राकेश सिंह की लंबे समय से बुरी नजर है। उक्त भूमि उनके पूर्वज भातू मांझी, सुरई मांझी आदि के नाम दर्ज है तथा शिकायतकर्ता लगातार अपने कब्जे में रखे हुए हैं। शिकायत के अनुसार दिनांक 22 मई 2025 की रात आरोपियों ने भूमि पर लगी बांस की घेराबंदी उखाड़ दी तथा अगले दिन जबरन ईंट गिराकर भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जातिसूचक अपमानजनक शब्द कहते हुए धमकी दी कि “तुम आदिवासी औरत का शहर में क्या काम है, जंगल में जाकर रहो, यह जमीन छोड़ दो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे तथा जमीन और मकान दोनों पर कब्जा कर लेंगे।” शिकायतकर्ता ने स्वयं को एक गरीब आदिवासी विधवा बताते हुए आयोग से

आशा लकड़ा

आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने, तथा उनके जीवन, परिवार एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत के साथ पुश्तैनी भूमि के निरंतर खतियान की प्रति संलग्न की गई है तथा इसकी प्रतिलिपि एस.एस.पी. धनबाद एवं हरिजन/आदिवासी थाना, धनबाद को भी प्रेषित की गई है।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दिनांक 20.06.2025 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला - धनबाद को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों की अवधि के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। आयोग के नोटिस के अनुपालन में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई |

4. मामले में दिनांक 03.06.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,, जिला - धनबाद, जिला -धनबाद (झारखंड) को सिटिंग नोटिस जारी किया गया | अभ्यावेदिका को भी इसकी सूचना दी गई |

5. सुनवाई में पुलिस अधीक्षक (शहर), धनबाद व् DPRO धनबाद उपस्थित रहे एंव प्रार्थीनि भी उपस्थित रही

6. सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक (शहर), धनबाद ने आयोग को अवगत कराया कि आवेदिका श्रीमती गुलाबी देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में मामले की विस्तृत जाँच करायी गयी। जाँच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विवादित भूमि मौजा हीरापुर, खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-2572 एवं 2573, कुल रकबा 17 डिसमिल, आवेदिका की पैतृक भूमि है। पुलिस अधीक्षक (शहर), धनबाद ने बताया कि आवेदिका की बड़ी पुत्री सुमित्रा कुमारी मरांडी द्वारा उर्मिला देवी के साथ उक्त भूमि पर निर्माण सामग्री रखने हेतु एक एकरारनामा किया गया था, जिसकी जानकारी आवेदिका को नहीं थी। उक्त एकरारनामे के आधार पर उर्मिला देवी के पुत्र राकेश सिंह एवं मुकेश सिंह द्वारा कुछ समय के लिए भूमि पर ईंट एवं बालू रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बाद में शेष निर्माण सामग्री के चारों ओर घेराबंदी किए जाने का प्रयास किए जाने पर आवेदिका द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तथा इस संबंध में धनबाद थाना एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आगे बताया कि आवेदन प्राप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों को थाना बुलाकर भूमि संबंधी अभिलेखों की जाँच की गई तथा आपसी वार्ता कराई गई। वार्ता के दौरान राकेश सिंह एवं मुकेश सिंह द्वारा एक सप्ताह के भीतर भूमि से ईंट, बालू एवं घेराबंदी हटाने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसके अनुपालन में उक्त सामग्री एवं घेराबंदी हटा ली गई। पुलिस अधीक्षक (शहर), धनबाद ने आयोग को यह भी अवगत कराया कि स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में विवादित भूमि पर राकेश सिंह एवं मुकेश सिंह द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा भूमि आवेदिका गुलाबी देवी के कब्जे में है। आवेदिका द्वारा भी लिखित रूप से यह सूचित किया गया है कि वर्तमान में उसे उक्त मामले से संबंधित कोई शिकायत अथवा समस्या नहीं है।

आशा लकड़ा

7. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. पुलिस अधीक्षक (शहर), धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह प्रतीत होता है कि विवाद का समाधान हो चुका है तथा वर्तमान में आवेदिका को कोई शिकायत शेष नहीं है। अतः वर्तमान प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi